

झारखण्ड सरकार

उद्योग विभाग

हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय

पत्र संख्या 06 (आवंटन) / रॉची, दिनांक 11.5.2023

02/ह0रे0ह0नि0/बजट(आवंटन)/झा0म0क0बो0/-06-06/2022

प्रेषक,

आकांक्षा रंजन

निदेशक,

हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प,

सेवा में,

उप सचिव,

हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय,

झारखण्ड, रॉची।

विषय- वित्तीय वर्ष 2023-24 में हस्तशिल्प का विकास के अन्तर्गत झारखण्ड माटी कला बोर्ड को प्रबंधकीय अनुदान हेतु कुल रू0 4,97,00,000/- (चार करोड़ संतानवे लाख रुपये) मात्र के उप आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2023-2024 में विभागीय राज्यादेश संख्या-01/रॉची, दिनांक 28.04.2023 के आलोक में राज्य योजना-हस्तशिल्प का विकास के अन्तर्गत झारखण्ड माटी कला बोर्ड को प्रबंधकीय अनुदान हेतु कुल रू0 4,97,00,000/- (चार करोड़ संतानवे लाख रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नवत आवंटित किया जाता है:-

क0	बजट शीर्ष/प्राथमिक इकाई/विपत्र कोड	आवंटित राशि (रू0 में)	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
1	2	3	4	5
1	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-104 - हस्तशिल्प उद्योग-71- झारखण्ड माटीकला बोर्ड-00-06-अनुदान-46- सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) विपत्र कोड-23S28510010471000646	10,00,000.00	उप सचिव, हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय, झारखण्ड, रॉची	सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची
2	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-104 - हस्तशिल्प उद्योग-71- झारखण्ड माटीकला बोर्ड-00-06-अनुदान-79- सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन) विपत्र कोड-23S28510010471000679	4,87,00,000.00		
कुल योग		4,97,00,000.00		


(चार करोड़ संतानवे लाख रुपये) मात्र

- इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 में योजना आय व्ययक 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-104 - हस्तशिल्प उद्योग-71- झारखण्ड माटीकला बोर्ड-06-अनुदान के अंतर्गत विकलित होगा तथा राशि निकासी हेतु विपत्र पर विपत्र कोड अंकित करना अनिवार्य होगा।
- यह राशि वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट उपबंध एवं आवंटनादेश सं0-01 दिनांक 28.04.2023 के अन्तर्गत है। राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 तक ही किया जायेगा।
- इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प, झारखण्ड, रॉची होंगे। योजना कार्यान्वयन तथा अनुश्रवण का दायित्व नियंत्री पदाधिकारी पर होगा।
- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप सचिव, ह0रे0ह0 निदेशालय, झारखण्ड, रॉची होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा से की जाएगी। उप सचिव, ह0रे0ह0 निदेशालय द्वारा DDO Code DRNIND013 से राशि की निकासी कर झारखण्ड माटीकला बोर्ड, रॉची के पी0 एल0 खाता DDO Code DRNMNG016 में जमा की जाएगी।

6. राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्र संख्या 2561 पटना दिनांक 17.04.1998, वित्त-4 -23/2003/1800 वि०, राँची दिनांक 15.07.2003 एवं वित्त-19/वित्तीय नियंत्रण/3001/2015-1681/वि०, दिनांक 10.06.2015 के आलोक में ही की जाएगी एवं उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
7. आवंटित राशि का व्यय निम्नांकित शर्तों के अनुसार किया जाएगा:-
 - (क) योजना की स्वीकृति के आधार पर तथा वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में निर्धारित अधिसीमा तक ही व्यय किया जाय।
 - (ख) एक इकाई की राशि का व्यय दूसरी इकाई में नहीं किया जाय।
 - (ग) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्त नियमावली के भाग-1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाय ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में प्रावधानित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाये।
 - (घ) मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 3री (तीसरी) तारीख तक अधोहस्ताक्षरी को अवश्य उपलब्ध करा दिया जाय।
8. योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 1363 दिनांक 09.05.2016 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए तदनुरूप आवंटित राशि की निकासी की जाएगी।
9. विभागीय राज्यादेश संख्या-01/राँची, दिनांक 28.04.2023 में निहित शर्तों/दिशा निर्देशों/निर्धारित मापदण्डों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाएगा।
10. राशि के समुचित व्यय उपरांत उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अविलम्ब निदेशक, हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय, झारखण्ड, राँची को दो (दो) प्रति में उपलब्ध कराया जाय।
11. ऑनलाईन निर्गत आवंटन की विवरणी संलग्न है, जिसे <http://172.16.20.15/ifmsjhar> पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन



निदेशक,

हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प,


ज्ञापांक 06 (आवंटन) / राँची, दिनांक 11.05.2023


प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हक०), झारखण्ड, पो०-हिनू, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



निदेशक,

हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प,


ज्ञापांक 06 (आवंटन) / राँची, दिनांक 11.05.2023


प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



निदेशक,

हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प,


ज्ञापांक 06 (आवंटन) / राँची, दिनांक 11.05.2023

प्रतिलिपि:- मा० मुख्य (उद्योग) मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, उद्योग के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, (बजट/योजना) उद्योग विभाग/प्रबंध निदेशक-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, झारखण्ड माटीकला बोर्ड, राँची/उप उद्योग निदेशक (योजना), ह०रे०ह०नि०/कम्प्यूटर कोषांग, उद्योग निदेशालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक,

हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प,




आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Industries Department

आवृत्त वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु निम्नलिखित दर्राए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 02/HSH.IN-06/22/06(ALLOT)

दिनांक - 11-May-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 23 28510010471000646 2851 - ग्राम तथा लघु उद्योग 00 - ग्राम तथा लघु उद्योग 104 - हस्तशिल्प उद्योग 71 - झारखण्ड माटीकला बोर्ड 00-NA 06 - अनुदान State Scheme	23699	DRNIND013 MANOJ KUMAR DEPUTY SECRETARY 46 - सहायता अनुदान सामान्य (वेतन)	1,000,000.00 रुपये दस लाख
	State Scheme : DEVELOPMENT OF HANDICRAFTS(0922) Central Scheme : NA			
2	S 23 28510010471000679 2851 - ग्राम तथा लघु उद्योग 00 - ग्राम तथा लघु उद्योग 104 - हस्तशिल्प उद्योग 71 - झारखण्ड माटीकला बोर्ड 00-NA 06 - अनुदान State Scheme	23698	DRNIND013 MANOJ KUMAR DEPUTY SECRETARY 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	48,700,000.00 रुपये चार करोड सित्तासी लाख
	State Scheme : DEVELOPMENT OF HANDICRAFTS(0922) Central Scheme : NA			

योग: रुपये चार करोड सित्तासौ लाख

49,700,000.00

क्रमिक योग:


(AKANKSHA RANJAN)
DIRECTOR, HS&H